

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर

मुकाम झुंझुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री संजय कुमार सैनी पुत्र श्री हेमराम सैनी

किस्म मुकदमा P.S.S.A.T

नं. 47 सन 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/9/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एव नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर	
21/9/22	पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 28/9/22 को पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या का कथन है कि उसने सुरजगढ बाईपास रोड चिड़ावा में मै0 न्यु संजय मिष्ठान भण्डार के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है जहां वह मिठाई बनाकर बेचान करता है। अनावेदक ने बुंदी लड्डू (घी व खाद्य रंग से निर्मित) में अपने स्तर पर कोई मिलावट नहीं की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।	
28.09.2022	हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1939/एक्ट/2022/1930 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ बुंदी लड्डू (घी व खाद्य रंग से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड (Sub-standard Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 न्यु संजय मिष्ठान भण्डार पर बुंदी लड्डू (घी व खाद्य रंग से निर्मित) स्वयं तैयार करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ बुंदी लड्डू (घी व खाद्य रंग से निर्मित) के सबस्टैण्डर्ड (Sub-standard Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री संजय कुमार सैनी पुत्र श्री हेमराम, मै0 न्यु संजय मिष्ठान भण्डार, सुरजगढ बाई पास रोड चिड़ावा, निवासी लाम्बा गोठड़ा, चिड़ावा, जिला झुंझुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण अनावेदक को 11000/- ग्यारह हजार रुपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफतर हो। अति. जिला कलेक्टर	संजय कुमार